न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रमाबाई नगर (कानपुर–देहात)।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 1336/2026

CNR No.**UPRN01- 003462-2026**

1. अमित कुमार पुत्र पातीराम, निवासी ग्राम देविन पुरवा, थाना अरौल, जनपद कानपुर नगर।

...आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० राज्य ... प्रतिपक्षी

सत्र परीक्षण संख्या–414/2026
मु०अ०सं०–155/2025
धारा–80(2), 85 बी०एन०एस० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–अरौल, जनपद कानपुर नगर।

आदेश

1. सत्र परीक्षण संख्या–414/2026, मु०अ०सं०–155/2025, धारा–80(2), 85 बी०एन०एस० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना–अरौल, जनपद कानपुर नगरके मामले में आवेदक/अभियुक्त अमित कुमार के द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

2– अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया है कि अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अचानक बीमार हो जाने के कारण वह नियत दिनांक को उपस्थित नहीं आ सका था जिस कारण उसके विरूद्ध गैर–जमानतीय वारण्ट निर्गत हुआ। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 07.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उपर्युक्त आधार पर जमानत दिये जाने की याचना की गयी।

3– अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत प्रा०पत्र का प्रबल विरोध किया।

4– सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5– पत्रावली के आदेशपत्रक के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त दिनांक–29.05.2026 को न्यायालय उपस्थित नहीं आ सका था, जिस कारण उसके विरूद्ध न्यायालय द्वारा एन०बी०डब्लू० जारी किया गया है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अभियुक्त अब नियत तिथियों पर न्यायालय आता रहेगा तथा न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं करेगा। अभियुक्त दिनांक– 07.06.2026 से जेल में निरूद्ध है। अभियुक्त पूर्व में जमानत पर रहा है।

6– अतएव मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामले के गुण–दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये हुए आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

7– तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त अमित कुमार के द्वारा मु०–1,00,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इतनी ही राशि के दो नवीन प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाये। अभियुक्त के द्वारा इस आशय का अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत की जाये कि दौरान विचारण वह न्यायालय आता रहेगा, विचारण में न्यायालय का सहयोग करेगा तथा अनावश्यक रूप से स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।

दिनांक–18.06.2026

(रविन्द्र सिंह)
सत्र न्यायाधीश
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।
J.O. Code–UP02003

Digitally signed by RAVINDRA SINGH
Date: 2026.06.18 16:04:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court